Gen. No.

निगरानी डीपी सं0 4/2010 देवाराम पुत्र लीलाराम सिन्धी निवासी 32 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–जेठाराम पुत्र श्री लीलाराम सिन्धी निवासी 32 जीबी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर 2–रमेशकुमार पुत्र बल्लूराम 3–अमरचंद पुत्र बल्लूराम 4–परमेश्वरी देवी पत्नि बल्लूराम जाति सिन्धी निवासी 32 जीबी तहसील श्रीविजयनगर 5–जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19–6–2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री इन्द्रजीत बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थीगण जेठाराम, रमेशकुमार, अमरचंद, परमेश्वरी देवी के के अभिभाषक श्री मलकियत सिंह नंदा उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह निगरानी देवाराम पुत्र लीलाराम द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) एवं प्राधिकृत सेटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.10.2004 तथा सेटलमेंट ऑफिसर (पुनर्वास) एवं अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.07.02 की अप्रसन्नता से धारा 24 डी.पी.सी एण्ड आर एक्ट 1954 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) एवं प्राधिकृत सेटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर दिनांक 06.10.2004 के द्वारा चक 32 जीबी के मु0न0 33 की 12.10 बीधा भूमि जो कि जेठाराम पुत्र लीलूराम एवं देवाराम पुत्र लीलूराम व उसकी माता मूलीदेवी को जीवो के आधार पर आवंटित हुई थी को अकेले परिवार के मुख्या जेठाराम को आवंटित होना मानकर अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.07.2002 को उचित ठहराया, जिसके द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि की 27.09.86 से पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिये गये थे। उक्त दोनो आदेशो को निरस्त करने की प्रार्थना की है और विवादग्रस्त भूमि में से उसकी माता की मृत्यु होने के कारण पेटीशनर देवाराम के नाम से व नॉन पेटीशनर जेठाराम के नाम से विवादग्रस्त भूमि में से आधी–आधी भूमि उनके नाम दर्ज किये जाने और उसी अनुसार पुनः सनद जारी करने की प्रार्थना की है।

पेटीशनर देवाराम के अभिभाषक का कथन था कि नॉन पेटीशनर सं0 1 जेठाराम को पाकिस्तान से विस्थापित होने पर एवं परिवार के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते चक 32 जीबी के मु0न0 33 की 12.10 बीघा भूमि अलाट हुई और उस समय परिवार में पेटीशनर देवाराम व नॉन पेटीशनर जेठाराम तथा उनकी माता मूलीबाई परिवार के सदस्य थे और बेसिक रजिस्टर में भी परिवार में तीनो सदस्यो के नाम अंकित थे। इस प्रकार उक्त आवंटित भूमि में उक्त तीनो का बराबर का हिस्सा था। मूलीबाई की मृत्यु के बाद जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 27.09.86 को निर्णय पारित कर उक्त विवादग्रस्त भूमि में पेटीशनर व नॉन पेटीशनर को बराबर का वारिस घोषित किया और उक्त निर्णय के विरूद्ध सेटलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील पेश हुई।

जिसका 29.04.95 को निर्णय कर जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। उक्त 29.04.95 के विरूद्ध एक निगरानी चीफ सेटलमेंट कमिश्नर एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश हुई। जिसमें निर्णय दिनांक 18.03.96 के द्वारा सेटलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर का आदेश 29.04.95 को निरस्त कर दिया गया और जिला पुनर्वास अधिकारी का निर्णय 27.09.86 बहाल रहा। इस प्रकार वह आधी भूमि का हकदार है।

उनका आगे यह भी कथन था कि चीफ सेटलमेंट कमिश्नर के उक्त निर्णय 18.03.96 के विरूद्ध एक पेटीशन संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अनावेदक सं0 1 जेठाराम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संभागीय आयुक्त महोदय ने जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पेटीशन संख्या 2581/88 बखुराम बनाम सरकार में दी गयी व्यवस्था के आधार पर जीवो के आधार पर आवंटित भूमि का सभी सदस्यों का बराबर का हक मानते हुए संभागीय आयुक्त महोदय ने अपने निर्णय दिनांक 30.06.97 के द्वारा जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर का आदेश 27.09.86, सेटलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 29.04.95 व चीफ सेटलमेंट कमिश्नर का आदेश 18.03.96 निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि विवादास्पद भूमि के आवंटन के समय बेसिक रजिस्टर व मूल आवंटन पत्रावली में अंकित सभी सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पुनः विस्तृत जांच की जाकर नियमानुसार सनद प्रसारित करने की कार्यवाही की जावे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय के उक्त निर्देशो को ध्यान में नही रखा गया है। इसलिए सेटलमेंट ऑफिसर (पुनर्वास) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 23.10.03 व सेटलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 06.10.04 जो कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय बखुराम बनाम सरकार दिनांक 20.09.88 एवं संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय में दिये गये निर्देशो के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि विवादग्रस्त भूमि जीवों के आधार पर आवंटित है। पेटीशनर व नॉन पेटीशनर की माता मूलीबाई की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त भूमि में पेटीशनर व नॉन पेटीशनर सं0 1 का आधा आधा हिस्सा बराबर का बनता है और जिला पुनर्वास अधिकारी के निर्णय 27.09.86 पूर्व से लेकर 2004 तक पेटीशनर काबिज रहा है और पेटीशनर द्वारा भी जेठाराम के साथ किश्ते जमा करवाई गई है। **फार्म न0 16 पर पटवारी हल्का 32 जीबी की रिपोर्ट के अनुसार विवादग्रस्त भूमि देवाराम व जेठाराम के नाम से दर्ज है और मौके पर देवाराम व जेठाराम अलाटी की हैसियत से बराबर काबिज है।** इसलिए विवादग्रस्त भूमि की सनद दोनो के नाम आधी आधी भूमि की जारी की जानी चाहिए थी। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय सेटलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 06.10.04 तथा सेटलमेंट ऑफिसर (पुनर्वास) एवं अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.07.02 निरस्त किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत **अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री मलकियत सिंह नंदा** का कथन था कि पेटीशनर देवाराम उक्त भूमि पर कभी काबिज नही रहा। देवाराम ने राज0 केनाल एरिया में एक मुरब्बा भूमि अलाट करवाई थी और वह वहीं रहता है जबकि विवादग्रस्त भूमि अकेले जेठाराम के नाम से आवंटित की गई है और आवंटन आदेश भी उसके नाम से जारी किया गया है। समस्त किश्ते भी उसके द्वारा जमा करवाई गई है और बेसिक रजिस्टर में अंकित सदस्यो के नाम के आधार पर भूमि के आवंटन की केवल मात्रा तय होती है और आवंटी वही होता है जिसके नाम से आवंटन आदेश जारी होता है। उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 611 व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 2014(1)डीएनजे(राज) 283 पेमाराम आदि बनाम डिविजनल कमिश्नर का हवाला दिया और प्रार्थना की कि अधिनस्थ न्यायालय सेटलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 06.10.04 तथा सेटलमेंट ऑफिसर (पुनर्वास) एवं अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.07.02 विधिसम्मत है और नॉन पेटीशनर के पक्ष में जारी की गई सनद भी सही है। इसलिए इस मामलें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत मोखिक व लिखित कथनो पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर द्वारा पेटीशन सं0 13/96 जेठाराम बनाम देवाराम वगैरा में दिनांक 30.06.97 को निम्न निर्णय पारित किया गयाः–

> हमने उभयपक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में आवंटन जीवों के आधार पर होना पाया जाता है। **बेसिक रजिस्टर में पेटीशनर एवं उसके भाई तथा मां का नाम अंकित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पेटीशन संख्या 2581/88 बखुराम बनाम सरकार में दी गई व्यवस्था के अनुसार जीवों के आधार पर आवंटित भूमि में सभी का बराबर हक व हिस्सा माना गया है।** अतः यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालयों जिला पुनर्वास अधिकारी, अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर क्रमशः दिनांक **27.09.86, 29.04.95 तथा 18.03.96** निरस्त करते हुए यह प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि **विवादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय बेसिक रजिस्टर एवं मूल आवंटन पत्रावली में अंकित सभी सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पुनः विस्तृत जांच की जाकर नियमानुसार सनद प्रसारित करने की कार्यवाही की जावे।**

संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के उक्त निर्णय के विरूद्ध जेठाराम द्वारा माननीय उच्च न्ययालय में किसी प्रकार से कोई चुनोती नही दी गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय के द्वारा उक्त निर्णय में दिये गये निर्देशो को ध्यान में रखना आवश्यक है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय जेठाराम, देवाराम भाई व मूलीबाई माता सदस्य थे और बेसिक रजिस्टर में तीनो के नाम अंकित है जो दोनो पक्ष स्वीकारते है और अधीनस्थ न्यायालयो के उक्त निर्णयो के अनुसार भी उक्त तीनो सदस्य ही है। माता मूलीबाई की मृत्यु के बाद जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय 27.09.86 में निम्न प्रकार से अंकित किया है:–

पत्रावली, बी. आर. का अवलोकन किया गया। बेसिक रजिस्टर में तीन सदस्य जेठामल, देवाराम, मूलीबाई दर्ज है। मूली बाई के वारिस जेठामल, देवाराम को बहिस्सा बराबर का घोषित किया जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बेसिक रजिस्टर में आवंटन के समय देवाराम, जेठाराम व मूलीबाई दर्ज है। मूलीबाई की मृत्यु होने पर जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विवादग्रस्त भूमि का देवाराम व जेठाराम को वारिस घोषित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डीबी रिट पेटीशन संख्या 2581/88 अनवानी बखुराम बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 20.09.88 के अनुसार नॉन कलेमेंट के रूप में अलाट की गयी भूमि में सभी सदस्यों का बराबर का हक माना गया है। इसलिए उक्त विवादग्रस्त भूमि चक 32 जीबी के मु0न0 33 की 12.10 बीधा में तीनो बराबर के हकदार है और मूली बाई की मृत्यु होने पर जेठाराम व देवाराम दोनो भाई बराबर के हकदार होते है। **फार्म न0 16 जो कि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र सं0 1410 दिनांक 25.05.88 द्वारा भेजा गया है में भी पटवारी रिपोर्ट में देवाराम व जेठाराम को आधी आधी भूमि पर बतौर आवंटी काबिज बताया गया है।** इसलिए विवादग्रस्त भूमि का **अकेले जेठाराम को आवंटी मानकर और उसके अकेले के नाम से सनद 1329/28.08.81 जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गयी है।** जबकि देवाराम, जेठाराम दोनो के नाम से ही सनद जारी की जानी चाहिए थी। दोनो के द्वारा ही विवादग्रस्त भूमि की किश्ते जमा करवाये जाने के पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्रो से होती है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में देवाराम व जेठाराम बराबर के हकदार है। इस प्रकार अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर एवं प्राधिकृत सेटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 06.10.2004 पारित करते समय तथा सेटलमेंट ऑफिसर (पुनर्वास) एवं अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 24.07.02 पारित करते समय संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के निर्णय में दिये गये निर्देशो को ध्यान में नही रखा है जबकि उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त डीबी सिविल रिट पेटीशन सं0 2581/88 बखुराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 20.09.88 के अनुसार नॉन कलेमेंट के रूप में आवंटित भूमि में सभी

सदस्यों का बराबर का हक माना है। इसलिए जेठाराम व देवाराम अपनी माता मूलीबाई की मृत्यु के बाद विवाद्रस्त भूमि में दोनो बराबर के हकदार है। इसलिए उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय, माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के उक्त डीबी सिविल रिट पेटीशन संख्या 2581/88 बखुराम बनाम सरकार के निर्णय 20.09.88 में तय सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पेटीशनर देवाराम की पेटीशन स्वीकार की जाती है। अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर एवं प्राधिकृत सेटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 06.10.2004 तथा सेटलमेंट ऑफिसर (पुनर्वास) एवं अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 24.07.02 एवं सनद संख्या 1329/28.08.81 निरस्त किये जाते है और देवाराम पेटीशनर व जेठाराम नॉन पेटीशनर को विवादग्रस्त भूमि चक 32 जीबी के मु0न0 33 की 12.10 बीधा भूमि में बराबर बराबर का हकदार घोषित किया जाता है और उक्त विवादग्रस्त भूमि की सनद उक्तानुसार दोनो के नाम आधी आधी भूमि की सनद जारी करने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार, श्रीविजयनगर को यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को छुपाकर यदि किसी पक्षकार द्वारा कोई अन्य कृषि भूमि आवंटन करवाई गई है तो उसके संबंध में जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।** अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड आदेश की प्रति सहित वापिस लोटाया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीविजयनगर को भी पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1364-69
28-6-17

यह आदेश आज दिनांक 19—6—2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
प्राधिकृत चीफ सेटलमेंट
कमिश्नर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर